

2018/00262

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत उप जिला कलक्टर मुकाम रायसिंहनगर

शेर सिंह वी-32ML बनाम हरकत

किस्म मुकदमा दुस्ती मुकदमा नं. 95
30/5/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/5/18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/- दिनांक 30/5/18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत में प्रार्थीगण के नाम चक 32ML की जमाबन्दी सम्वत् 2022-25 के खाता नं. 98 में खातेदार शेर सिंह वी-32ML के नाम पर दर्ज की जा रही है। जिसका नाम शेर सिंह वी-32ML है। जिसकी शेर सिंह वी-32ML की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 30/5/18 की पृष्ठ मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर बाके चक 32ML के खाता नं. 98 में दर्ज खातेदार शेर सिंह वी-32ML की दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप जिला कलक्टर
राजस्व लोक अदालत
रायसिंहनगर
न्याय आप के द्वार-2018
कैम्प कोर्ट 30/5/18
सपखण्डधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर